



# फर्द अहकॉम

(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी रोड़वा व मुकाम रोड़वा

प्रतापसिंह शर्मा बनाम अदरसिंह शर्मा

किस्म मुकदमा... राजस्व कोर्ट... मुकदमा नम्बर... 122/2024

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर 'य' तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/5/24	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलोट के वकील श्री... <u>देवराज देवर्षी</u>... यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा... 111, 126 RLP Act... राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-राजस्व अधिनियम के अर्न्तगत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी / प्रतिवादी / रेरपोडेंट जरिये नोटिस / सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक... 31/05/2024... को पेश हो।</p> 	
31/5/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। विप्रार्थीगण के सम्मन तामील। अहम तामील क्षपाप्त। इंतजार होकर पत्रावली आई। दिनांक 18/06/24 को पेश हो।</p> 	
18/06/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। विप्रार्थीगण के सम्मन पूर्व पेशी तारीख पर तामील सुदा आप्त जिसे तामील पत्रावली किया जात है। विप्रार्थीगण के सम्मन तामील सुदा आप्त होने के बावजूद वे उपस्थित नहीं हुका। नरः उनके विरुद्ध एनलरफा</p>	

कामगरी काम में लगे जा रही हैं। वही प्राची ने बहल  
 सुनें आ विवेक किया। वही प्राची की बहल सुनी  
 वही बहल पर मनन किया। प्राची का अध्ययन अवलोकन  
 किया गया। जल-कुटीर होगा है कि प्राची का ध्यान  
 पर स्वीकार करने योग्य है। अतः वरमबंदी निर्णय  
 अलग से किया जाकर शामिल प्राची किया गया।  
 प्राची फसल बुझार होकर धरिवाल दायर हो।

सेवा में



## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं 122/2024 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

प्रतापसिंह वगैरा बनाम उभयसिंह वगैरा

पीठासीन अधिकारी - श्री विरेन्द्रसिंह भाटी आर.ए.एस  
प्रार्थी वकील - श्री घेवरराम देवारी

निर्णय


दिनांक - 18/06/2024

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र बाखासर भूअ.नि. क्षेत्र बाखासर के मौजा बाखासर के खेत खसरा संख्या 298 रकबा 1.6754 हैक्टर एवं खसरा संख्या 540 रकबा 3.2618 हैक्टर किस्म बारानी सोयम स्थित है। प्रार्थी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थी के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते हैं। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थी ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के वक्त काश्त प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया की जाकर वादग्रस्त भूमि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र बाखासर भूअ.नि. क्षेत्र बाखासर के मौजा बाखासर के खेत खसरा संख्या 298 रकबा 1.6754 हैक्टर एवं खसरा संख्या 540 रकबा 3.2618 हैक्टर किस्म बारानी सोयम की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते हैं कि वो दोनों पक्षों के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनों पक्षों के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त में परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो।

तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थी के खसरों की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फ़ैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 18/06/2024 को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।

  
(विरेन्द्रसिंह भाटी)

उपखण्ड अधिकारी  
सेड़वा

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा जिला बाड़मेर

<p><b>प्रार्थी</b></p> <p>1. प्रतापसिंह पुत्र रावता 2. कालूसिंह पुत्र रावता 3. कसुम्बो पत्नि रावता जाति रावणा राजपूत, निवासी बाखासर, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।</p>	<p><b>विप्रार्थीगण</b></p> <p>1. उदयसिंह पुत्र देवीसिंह 2. गुलाबसिंह पुत्र बीजा 3. दीपसिंह पुत्र मानसिंह 4. नखतरसिंह पुत्र भंवरसिंह 5. पृथ्वीसिंह पुत्र देवीसिंह 6. भीमसिंह पुत्र देवीसिंह 7. रावतसिंह पुत्र देवीसिंह 8. सुआकंवर पत्नि भीमसिंह 9. सावलसिंह पुत्र बीजा 10. जयसिंह पुत्र रावतसिंह 11. प्रतापसिंह पुत्र रावतसिंह 12. भवानीसिंह पुत्र रावतसिंह 13. भेरा पुत्र नारणा 14. अगरबाई पत्नि मदाजी 15. शंकरसिंह पुत्र बाबूसिंह 16. शैतानसिंह पु. बाबूसिंह 17. शम्भुसिंह पुत्र भगू 18. हवाकंवर पत्नि भगू 19. कुपजी पुत्र मदाजी 20. कमलसिंह पुत्र भगू 21. काना पुत्र जेठा 22. गोविन्ददास पुत्र छगनदास 23. पहाड़सिंह पुत्र बाबूसिंह 24. भीखजी पुत्र मदाजी 25. मोरबाई पत्नि बाबूसिंह 26. वाकसिंह पुत्र बाबूसिंह 27. गणपतसिंह पुत्र पृथ्वीराजसिंह 28. जोरा पुत्र नारणा जाति राजपुत, निवासी बाखासर, तहसील सेड़वा। 29. जवारसिंह पुत्र रामसिंह 30. लेहरकंवर पत्नि विशनसिंह जाति राजपुत, निवासी साता, तहसील सेड़वा। 31. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सेड़वा।</p> <p><b>बनाम</b></p>
--	---

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबंदी बाबत।


राजस्व आवेदन संख्या 120/2024

दिनांक : 18/06/2024

## आदेश

तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र बाखासर भू.अ.नि. क्षेत्र बाखासर के मौजा बाखासर के खेत खसरा संख्या 298 रकबा 1.6754 हैक्टर एवं खसरा संख्या 540 रकबा 3.2618 हैक्टर किस्म बरानी सोयम के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा नेखमबंदी की पालना 15 दिवस में अवश्य पेश करें। नेखमबंदी के दौरान किसी बिन्दु पर किसी प्रकार निर्माण होने की स्थिति में उस बिन्दु पर नेखम स्थापित नहीं किया जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहसीलदार दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के उपरान्त ही नेखमबंदी की कार्यवाही करेंगे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।


  
(विरेंद्रसिंह भाटी)  
उपखण्ड अधिकारी  
0/सेड़वा

दिनांक 20/06/2024

क्रमांक/भू.अ./2024/2144-47

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ-

1. तहसीलदार सेड़वा।
2. प्रार्थी प्रतापसिंह पुत्र रावता वगैरा।
3. विप्रार्थीगण उदयसिंह पुत्र देवीसिंह वगैरा।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा/चौहटन/बाखासर/बीजराड़/धोरीमन्ना/धनाउ।

  
उपखण्ड अधिकारी  
0/सेड़वा